न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा, आर.ए.एस.

एफ एस प्रकरण संख्या 12/2022 (2022/159)

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण

उमरदीन पुत्र अब्दुल सत्तार, फर्म मैसर्स उमरदीन मसाला उद्योग, गणपती चौराहा, रेल्वे स्टेशन रोड़, पीपाड़ सिटी, जिला जोधपुर। निवासी – सदर बाजार, शहीदों का चौक वार्ड संख्या 13, पीपाड़ सिटी, जिला जोधपुर।

उपस्थिति

1. अधिवक्ता श्री मोहम्मद साबीर (अप्रार्थी)।

–:आदेश :– **दिनांक :– 17.07.2023**

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 12.01.2022 को रजनीश शर्मा बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अद्यिकारी गश्त चैंकिग फर्म मैसर्स उमरदीन मसाला उद्योग, गणपती चौराहा, रेल्वे स्टेशन रोड़, पीपाड़ सिटी, जिला जोधपुर पहुचाँ व अपना परिचय दिया, परिचय पत्र दिखाया, इस समय दुकान पर विक्रेता/मालिक की हैसियत से उमरदीन पुत्र अब्दूल सत्तार उपस्थित मिले जो आम जनता को हल्दी, धनिया एवं लाल मिर्च का पाउडर निर्माण वास्ते आमजन को विक्रय हेतु कर रहे थे। विक्रेता से वर्ष 2022 का खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा, इन्होनें नहीं होना जाहिर किया एवं स्वयं का पहचान पत्र आधार कार्ड, वाहन अनुज्ञप्ति एवं उक्त परिसर का विद्युत विपत्र पेश किया। दुकान का निरीक्षण करने पर धनिया पाउडर 43 किलोग्राम का 1 बैग खुला एवं 50 किलोग्राम का 1 बैग एवं 53 किलोग्राम का 1 बैग कुल मात्रा 146 किलोग्राम आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुए थे। मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाह के सामने विक्रेता को रूपये 60/– नगद देकर धनिया पाउडर 2 किलोग्राम वास्ते जांच खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की। जिस पर मेरे, विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर हैं, जिसकी असल प्रति सलंग्न है।

विक्रेता व गवाह के सामने उक्त धनिया पाउडर के 04 पैकेट्स हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एम–2737 खाद्य पदार्थ का विवरण एंव नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। मैने, गवाह व विक्रेता ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। इन चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–2737 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी, जोधपुर के नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचें पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमूनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपडी की लगाई एक

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 14:04:51 IST
Reason: SelfAttested

नमूनें के सिर पर एक पेदें पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुये हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवायें तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे मे किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में मैने, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना एम–2737 सील चपडी किया उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही मैने स्वयं ने, गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही की असल मौका फर्द सलंग्न है।

कार्यालय पंहुच कर फार्म नम्बर 6 की प्रतिया तैयार की गयी जिन पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया एंव जिस सील से नमूना सिल्ड किया गया उसका सील इम्प्रेशन अंकित किया गया। फार्म नम्बर 6 की एक–एक प्रति प्रत्येक नमूना भाग के साथ रखकर नमूनो को पुनः आउटर कवर मे लपेट कर मोटे धागे से बान्धकर नियमानुसार सिल चपडी से सिल्ड किया गया। फार्म नम्बर 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे मे रखकर सिल चपडी से सिल्ड किया एंव उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया उक्त एक सिल्ड नमूना एंव सिल्ड लिफाफा स्वयं के द्वारा दिनांक 31.01.2022 को खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदे प्राप्त की जो अलग–अलग असल सलंग्न है।

एम–2737 नमूने के द्वितीय, तृतीय भाग अभिहित अधिकारी जोधपुर को दिनांक 12.01.2022 को एंव चतुर्थ भाग दिनांक 28.01.2022 को जमा कराये गये जिनकी प्राप्ती रसीद दोनो अलग–अलग मूल सलंग्न हैं।

अभिहित अधिकारी जोधपुर के पत्र क्रमांक 139–140 दिनांक 18.02.2022 के साथ संलग्न खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर की मूल जांच रिपोर्ट एल.एस. / 172 / एक्ट / 2022 / 154 दिनांक 27.01.2022 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर का नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अमानक स्तर (Sub-standard/Does not conform) का होना पाया गया, अग्रेषण पत्र मय जांच रिर्पोटे सलंग्न है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मोहम्मद साबिर ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में बतलाया कि अप्रार्थी द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर में किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की गई। प्रार्थी द्वारा रिपोर्ट में बतालाया गया कि उक्त खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर का नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अमानक स्तर (Sub-standard/Does not conform) का है। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की गई है फिर भी माननीय न्यायालय को लगता है कि उक्त कृत्य अपराध की श्रेणी में है तो न्यूनतम से न्यूनतम जुर्माना अधिरोपित करने की इस्तदुआ की।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 14:04:51 IST
Reason: SelfAttested

हमने प्रकरण में प्रार्थी विभागीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुख्या चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी जोधपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद का अध्ययन किया तथा अप्रार्थीपक्ष की बहस पर मनन किया। इस प्रकरण में यह तथ्यात्मक स्थिति है कि अप्रार्थी की फर्म से खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जांच हेतु धनिया पाउडर का सैम्पल लिया गया। उक्त सैम्पल की खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर की मूल जांच रिपोर्ट एल.एस./172/एक्ट/2022/154 दिनांक 27.01.2022 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर का नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अमानक स्तर (Sub-standard/Does not conform) होना पाया गया। उक्त प्रकरण में उक्त खाद्य पदार्थ का विक्रय या वितरण करके अप्रार्थी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जो धारा 51 के अर्न्तगत जुर्माने योग्य अपराध है। अधिनियम की मंशा अनुरूप लोक स्वास्थय की सुरक्षा को सुनिश्चित करना इस न्यायालय का उद्देश्य है।

आदेश

अप्रार्थी उमरदीन पुत्र अब्दुल सत्तार पर शास्ती रूपये 5,000/— अक्षरे रूपये पांच हजार रूपये की आरोपित की जाती है। अप्राथी उपरोक्त शास्ती राशि निर्णय के एक माह के अंदर—अंदर निर्धारित मद में जमा करवाकर रसीद प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 17.07.2023 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम) जोधपुर।

प्रतिलिपीः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—
क्रमांकः कोर्ट/एडीएम(प्रथम)/2023/ दिनांक :—
प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज0, जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
3. उमरदीन पुत्र अब्दुल सत्तार, फर्म मैसर्स उमरदीन मसाला उद्योग, गणपती चौराहा, रेल्वे स्टेशन रोड़, पीपाड़ सिटी, जिला जोधपुर। निवासी — सदर बाजार, शहीदों का चौक वार्ड संख्या 13, पीपाड़ सिटी, जिला जोधपुर।

(मदनलाल नेहरा)
न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम) जोधपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 14:04:51 IST
Reason: SelfAttested